न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 27 / 2025
दायर दिनांक : 26 / 05 / 2025
निर्णय दिनांक : 24 / 06 / 2025

उनवान

1 भैरूलाल पिता परतु ओड निवासी ओडो का खेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 नोसर पत्नि निर्भय लाल ओड निवासी ओडो का खेडा तहसील भूपालसागर
2 रूक्मणी पत्नि रामलाल ओड निवासी ओडो का खेडा तहसील भूपालसागर
3 प्रकाशचंद्र पिता बालूराम माली निवासी माली खेडा तहसील भूपालसागर
4 पारस पिता सोहनलाल माली निवासी माली खेडा तहसील भूपालसागर
5 व्रदीचंद पिता हीरा माली निवासी माली खेडा तहसील भूपालसागर
6 बालूराम पिता जोधा माली निवासी माली खेडा तहसील भूपालसागर
7 ललूराम पिता प्रताप ओड निवासी ओडो का खेडा तहसील भूपालसागर
8 बाली पत्नि सोहनलाल माली निवासी माली खेडा तहसील भूपालसागर
9 तुलसीराम पिता उकार माली निवासी माली खेडा तहसील भूपालसागर
10 गणेश पिता सोराम माली निवासी माली खेडा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित होकर अप्रार्थी स0 7 10 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है, हस्ताक्षर किए गए। अप्रार्थीगण संख्या 1 2 3 4 5 6 8 9बाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। **भू अभिलेख निरीक्षक, जाश्मा**को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **खाता स0 74 के हाल आ.सं. 343 रकबा 0.42 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.42 है0 व हाल खाता स0 87 हाल आ0न0 348 रकबा 0.51 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.51 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन न[illegible] आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] आज [illegible]ांक 24 / 06 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2025.07.10 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर